हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

पंचम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 33

वीरवार, 15 फरवरी, 2024/26 माघ, 1945(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

"हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा के द्वितीय बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदन के नेता श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर, संसदीय कार्य मन्त्री, श्री हर्षवर्धन चौहान, मन्त्रिमण्डल के समस्त सदस्यगण व मेरे सहयोगी माननीय उपाध्यक्ष, समस्त माननीय मुख्य संसदीय सचिवों एवं माननीय सदस्यों का सत्र में एकत्रित होने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि 13 दिन चलने बाले बजट सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले और सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरी यह अपेक्षा भी रहेगी कि इस सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मुझे आप सभी का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा।"

1. शोकोद्‌गार

निम्नलिखित ने स्वर्गीय श्री दीनानाथ गौतम, पूर्व सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्‌गार व्यक्त किएः-

1. **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**
2. **श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष**
3. **श्री पूर्ण चन्द ठाकुर**

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित शब्दों में अपने शोकोद्‌गार व्यक्त किए-

"स्वर्गीय श्री दीनानाथ गौतम, पूर्व सदस्य के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। स्वर्गीय श्री दीनानाथ गौतम जी का जन्म दिनांक 28 अक्तूबर, 1939 को स्वर्गीय श्री गंगा राम जी के घर गांव-भटवारी, जिला मण्डी में हुआ था। वे वर्ष 1990 में दरंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। उनकी विशेष रुचि लेखन, सामाजिक कार्य, बेरोज़गारी उन्मूलन और ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में थी। 15 जनवरी, 2024 को 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। स्वर्गीय श्री दीनानाथ गौतम जी के परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। हाल ही में माननीय उप-मुख्य मन्त्री तथा हमारे साथी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की पत्नी श्रीमती सिम्मी अग्निहोत्री जी का भी निधन हुआ है, मैं उनको भी सदन की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं। सदन की भावनाओं को स्वर्गीय श्री दीनानाथ गौतम जी के शोक-संतप्त परिवारजनों तक पहुंचा दिया जाएगा ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा गया।)

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1038(स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1264 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

(**11.23 बजे पूर्वाह्न विपक्ष के सभी सदस्यगण सदन से बाहर गए।**)

तारांकित प्रश्न संख्याः 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1276, 1286, 1288, 1290 तथा 1291 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

(**11.55 बजे पूर्वाह्न विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में वापिस लौटे।**)

तारांकित प्रश्नः 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1275, 1277 से 1285 व 1287 तथा 1289 के उत्तर पर सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1292 से 1302 के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 260(स्थगित) तथा 551 से 560 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रणधीर शर्मा, माननीय सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से अली खड्ड पानी विवाद पर चले संघर्ष के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज से उन्हें चोट लगने व उन पर दर्ज़ FIR का मामला उठाया तथा चाहा कि उन पर दर्ज़ FIR वापिस हो।

उद्योग मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने इस संबंध में नियम-62 के तहत चर्चा हेतु नोटिस दिया है और इस चर्चा के कार्यसूची में लिस्ट हो जाने के उपरान्त इस पर जवाब दिया जाएगा।

विपक्ष के सदस्यगणों ने **माननीय उद्योग मंत्री** के उत्तर से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए मांग की कि माननीय सदस्य पर दर्ज़ FIR को वापिस करने बारे मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें। परन्तु मुख्य मंत्री जी की ओर से आश्वासन न मिलने पर विपक्ष के सभी सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे व कुछ क्षण उपरान्त 12.10 बजे अपराह्न विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन कर गए।

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

सचिव, विधान सभा द्वारा **प्राधिकृत (अवर सचिव, विधायन)** ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 1) की प्रति सभा पटल पर रखी, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

5. कागज़ात सभा पटल पर

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, सहायक निदेशक मत्स्य, ग्रुप-बी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याःफिश-ए (3)-2/2014, दिनांक 13.10.2023 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.10.2023 को प्रकाशित;

(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्लॉज-(ब) की उपधारा (1) की धारा 4 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-2023;

(v) हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 33 के साथ पठित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 78 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-2023; और

(vi) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्या 68) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-2023.

6. अनुपूरक बज़ट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2023-2024 का प्रस्तुतीकरणः

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अन्तिम किस्त को प्रस्तुत किया।

7. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

श्री संजय रत्न, सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

> **"इस सदन में एकत्रित सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदय का, दिनांक 14 फरवरी, 2024 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"**

(12.20 बजे अपराह्न श्री राजेन्द्र राणा सभापति पदासीन हुए।)

(12.22 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

(12.25 बजे अपराह्न विपक्ष के सदस्य सदन में वापिस आए।)

श्री रवि ठाकुर, सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया एवं चर्चा की।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में चर्चा करते हुए यह कहने पर कि अखबारों में ख़बर आ रही है कि पेंशन में कटौती की जा रही है, पर माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए स्थिति स्पष्ट की एवं अध्यक्ष महोदय से इन शब्दों को कार्यवाही से निकालने के लिए आग्रह किया।

अध्यक्ष द्वारा विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि श्री राजीव शुक्ला, महामंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं सांसद राज्यसभा आज सदन की विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित है। अतः हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने विपक्ष के नेता द्वारा चर्चा के दौरान जिक्र करने पर कि उनके क्षेत्र में बहुत से परिवारों को आपदा राहत राशि नहीं मिली है, पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा इसका ज़िक्र पिछले सत्र में भी किया गया था लेकिन कभी ऐसे प्रभावित परिवारों की उन्होंने लिखित सूची उपलब्ध नहीं करवाई।

(1.35 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.35 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.45 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

चर्चा जारी -

2. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

(02.27 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

3. श्री सुख राम चौधरी
4. श्री किशोरी लाल, मुख्य संसदीय सचिव
5. डॉ0 हंस राज
6. श्री नन्द लाल
7. श्री विनोद कुमार
8. श्री राम कुमार, मुख्य संसदीय सचिव
9. श्री बलबीर सिंह वर्मा
10. श्री मलेन्द्र राजन

(05.00 बजे अपराह्न सदन का समय 6.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

11. श्री सुरेन्द्र शौरी
12. श्री चंद्र शेखर
13. श्री इन्द्र सिंह

(05.35 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

14. श्री सुदर्शन सिंह बबलू

(05.48 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

(06.00 बजे अपराह्न सदन का समय 7.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

15. श्री लोकेन्दर कुमार
16. श्री विनोद सुल्तानपुरी
17. श्री दलीप ठाकुर

06.45 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार 16 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।